सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 351 राँची, सोमवार, 29 जून, 2026 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

संकल्प

23 जून, 2026

संख्या-1123--दिनांक-16.01.2026 को विभागीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम अन्तर्गत श्रम अधीक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का किये गये उपकर निर्धारण की जिलावार समीक्षा के क्रम में श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर-2 द्वारा दिनांक-12.08.2025 से 14.01.2026 तक 41 प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में सिर्फ 02 प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजने एवं 01 का ही उपकर निर्धारण किये जाने पर सचिव महोदय द्वारा कारण पूछा गया था। जिसके उत्तर में श्री सत्येन्द्र सिंह, श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर-2 ने बताया कि कार्यालय में शिकायत संबंधी मामले अधिक आने के कारण उसके निष्पादन में ही ज्यादातर समय चला जाता है तथा उन्हें उपकर निर्धारण प्रक्रिया की जानकारी नहीं रहने के कारण दिनांक-12.08.2025 से 14.01.2026 तक सिर्फ 01 प्रतिष्ठानों का ही उपकरण निर्धारण किया गया है।

श्री सिंह के द्वारा शेष 38 प्रतिष्ठानों को बिना वैध कारण के छोड़ दिया गया। यह कृत्य कर्तव्य में लापरवाही एवं सत्यनिष्ठा का अभाव का द्योतक है। इसमें भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को राजस्व हानि हुई है। भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत सभी निर्माण स्थलों का 100 प्रतिशत सर्वे कर 1 प्रतिशत सेस वसूलने का स्पष्ट प्रावधान है जिसका अनुपालन नहीं किया गया। अतः अपने पद के दायित्वों की जानकारी नहीं होना एवं कार्यों का समय पर निष्पादन नहीं करना, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह की कार्यकुषला पर गंभीर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। यह आचार नियमावली 1976 की कंडिका-03 का उल्लंघन है एवं उनके कर्तव्य की प्रति निष्ठा की कमी एवं शीलनिष्ठा का अभाव प्रदर्शित करता है।

2. श्री सिंह ने अपने बचाव में कहा कि कार्य का ज्ञान नहीं था जबकि वे पूर्व में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर कुल 36 वर्ष 05 महीना 21 दिन तक पदस्थापित रहे हैं, वर्तमान में प्रोन्नति के पश्चात दिनांक-18.07.2025 से श्रम अधीक्षक का पद को धारित कर रहे हैं। विभाग के अधिसूचना सं0-998 दिनांक-13.06.2008 द्वारा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के तहत उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है एवं विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-801, दिनांक-28.04.2023 द्वारा श्रम अधीक्षक को उपकर निर्धारण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि मुझे कार्य की जानकारी नहीं थी, तथ्य से परे है, जो मिथ्या कथन/सक्षम पदाधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

3. श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये मजदूरी भुगतान अधिनियम1936 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 का माह अगस्त से माह दिसम्बर तक का गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो गंभीर प्रशासनिक त्रुटि एवं लापरवाही का परिचायक है।

4. दिनांक-16.01.2026 को सम्पन्न हुये समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव महोदय के निदेशानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर-2 से कार्यालय पत्रांक-220, दिनांक-06.02.2026 द्वारा एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, ससमय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुनः कार्यालय के पत्रांक-327, दिनांक--24.02.2026 तथा पत्रांक-453 दिनांक-23.03.2026 द्वारा स्मार पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण में मांगी गई वांछित सूचना (अभिलेख सहित) उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो उनके सरकारी आदेशों व वरीय पदाधिकारियों के निदेश का उल्लंघन तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

उक्त कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि श्री सिंह द्वारा सरकारी कार्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही व स्वेच्छाचारिता बरती गयी व सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के क्रम में वरीय पदाधिकारियों को भ्रमित करने का प्रयास व आदेश की लगातार अवहेलना करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

5. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर-2 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनों की समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरूण वाल्टर संगा, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में विभाग के तरफ से आरोप के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु श्री हरिवंश पंडित, संयुक्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 351-- 50